

9416
12/10/26



नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
(अधीनस्थ भारत सरकार)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
नौएडा दादरी रोड, फेस-2, नौएडा जिला गौतम बुद्ध नगर(उ०प्र०)
ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70

दिनांक .10.2026

परिपत्र / CIRCULAR

विषय: आवंटित भूखण्डों (प्लॉट) के संबंध में उप-पट्टा विलेख तथा एसडीएफ में आवंटित स्थान के संबंध में किरायेदारी विलेख के नवीन / नवीकरण / लंबित विलेखों पंजीकरण के संबंध में।

Subject: Regarding execution of fresh/renewal/pending Sub-Lease Agreements in respect of allotted Plots and Tenancy Agreements in respect of allotted SDF space reg:-

1. नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में स्थित सभी इकाइयों को सूचित किया जाता है कि आवंटित भूखण्डों (Plots) के संबंध में उप-पट्टा विलेख तथा एस.डी.एफ. में आवंटित स्थान के संबंध में किरायेदारी विलेख के संशोधित प्रारूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं। अब से उक्त संशोधित प्रारूपों के अनुसार ही संबंधित विलेखों का निष्पादन एवं पंजीकरण किया जाना अपेक्षित है।	1. All units located in NSEZ are hereby informed that the revised formats of the Sub-Lease Agreement in respect of allotted Plots and the Tenancy Agreement in respect of allotted space in SDF have been approved by the Competent Authority. Henceforth, the execution and registration of the respective Agreements shall accordingly be carried out strictly as per the approved revised formats.
2. जिन इकाइयों के उप-पट्टा विलेख/किरायेदारी विलेख की अवधि समाप्त हो चुकी है, अथवा जिन इकाइयों द्वारा संबंधित विलेखों का अभी तक निष्पादन एवं/अथवा पंजीकरण नहीं कराया गया है, ऐसी सभी इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि वे लागू नियमों, शर्तों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विलेखों के निष्पादन एवं पंजीकरण की आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें तथा इस संबंध में आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करें।	2. All units whose Sub-Lease Agreements/Tenancy Agreements have expired, or which have not yet executed and/or registered the requisite Agreements, are hereby directed to complete the necessary formalities for execution and registration of the respective Agreements in accordance with the applicable rules, terms and conditions, and prescribed procedure, and ensure due compliance in this regard.
3. सभी इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्यवाही आवंटन पत्र में दी गई निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करें तथा विधिवत निष्पादित एवं पंजीकृत उप-पट्टा विलेख/किरायेदारी विलेख की एक सत्यापित प्रति आवश्यक अनुपालन एवं अभिलेख हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।	3. All units are directed to complete the aforementioned action within the stipulated timeframe specified in the allotment letter and to submit a certified copy of the duly executed and registered sub-lease deed/tenancy deed to this office for necessary compliance and record.
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।	4. This issues with the approval of the Competent Authority.

भवदीय,

Digitally signed by
Kislay
Date: 12-10-2026
10:21:29

(किसलय)
सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि / Copy to:

1. NSEZ की सभी इकाइयों को — सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु // All units located in NSEZ — for information and necessary compliance.
2. NSEZ वेबसाइट / NSEZ Website.